न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत विजयसिंहपुरा)

मु.न. 131/2016

उनवान

1. बरफूदेवी पत्नि महादेव, जाति जाट, निवासी 95, डोलीवाल, ग्राम समरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. दानाराम पुत्र गोपी
2. नानू पुत्र गोपी
3. अर्जुन पुत्र गोपी
4. बाबूलाल पुत्र गोपी
5. भूरीदेवी पत्नि रामेश्वर

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम समरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

6. कोयली पत्नि मंगलचन्द जाति जाट, निवासी ग्राम समरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. रूडमल पुत्र गिरधारी
8. लालचन्द पुत्र गिरधारी
9. जगदीश पुत्र गिरधारी
10. प्रहलाद पुत्र गिरधारी
11. अमरसिंह पुत्र गिरधारी
12. शन्तीदेवी पुत्री गिरधारी
13. काना पुत्र भूरा
14. शंकर पुत्र प्रभात्या
15. सुल्तान पुत्र प्रभात्या
16. लक्ष्मण पुत्र प्रभात्या
17. भागीरथ पुत्र प्रभात्या
18. रामकरण पुत्र प्रभात्या
19. भागादेवी पुत्री प्रभात्या
20. पारादेवी पुत्री प्रभात्या
21. बायलादेवी पुत्री प्रभात्या

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम समरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

22. गोपाल पुत्र साधु
23. श्रवणी पुत्री साधु
24. मन्नी पुत्री साधु
25. नारायण पुत्र रूगनाथ
26. अणची पत्नि रूगनाथ
27. लक्ष्मण पुत्र रूगनाथ
28. कालूराम पुत्र रूगनाथ

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

29. शंकर पुत्र रूगनाथ
30. भोलाराम पुत्र रूगनाथ
31. कैलाश पुत्र रूगनाथ
32. लालीदेवी पुत्री रूगनाथ
33. गुल्लीदेवी पुत्री रूगनाथ
34. राधादेवी पुत्री रूगनाथ
35. जोधा पिता साधु

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम समरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

36. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

निर्णय दिनांक 11.05.2018

पत्रावली कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत विजयसिंहपुरा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम समरपुरा, पटवार हल्का विजयसिंहपुरा, भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र सामोद, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 141 में वर्णित खसरा नम्बर 593 रकबा 0.57 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.57 हैक्टेयर, हाल खाता संख्या 142 में वर्णित खसरा नम्बर 523 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 594 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 595 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो कि सम्पूर्ण ही प्रार्थीया के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं।

वाके ग्राम समरपुरा, पटवार हल्का विजयसिंहपुरा, भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र सामोद, जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 523, 594, 593, 595 की भूमि के उत्तर की तरफ की सीमा के अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 5 सीमाजोड काश्तकार हैं। जिनकी भूमि के खसरा नम्बर 536, 592 की खातेदारी हैं। खसरा नम्बर 523 के पश्चिमी व दक्षिणी सीमा से लगता खसरा नम्बर 522 हैं, जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 6 के नाम हैं तथा दक्षिणी सीमा के खसरा नम्बर 596, 597 जिसकी खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 7 लगा0 21 की हैं तथा पश्चिमी सीमा से लगता खसरा नम्बर 598 जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 22 लगा0 35 की हैं।

प्रार्थीया की भूमि का सीमाज्ञान श्रीमान तहसीलदार महोदय, चौमूं, के आदेश क्रमांक/भू.अ./2013/2535 दिनांक 02.07.2013 की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 07.07.2013 को ग्राम समरपुरा के आराजी खसरा नम्बर 523, 593, 594, 595 के मौके बरफूदेवी पत्नि महादेव व गोपाल पुत्र रामनारायण जाट व काश्तकारों के साथ सीमाज्ञान की कार्यवाही करने पहुंचा। सीमाज्ञान की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। फर्द मौका तैयार किया जाकर उपस्थित मौतबिरान व प्रार्थिया को पढकर सुनाया गया व उपस्थित मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये गये। जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया अपनी खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहती है जिस हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीया उपस्थित। प्रार्थीगण आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 07.07.2013 को एवं न्याय आपके द्वार कैम्प 2017 में आदेशिका दिनांक 10.05.2017 की पालना में भी तहसीलदार चौमूं के आदेश से दिनांक 12.06.2017 को पुनः सीमाज्ञान पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2017 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत विजयसिंहपुरा में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner